क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बिजनौर

पत्रांक : – 53 /N-43/General-2024 दिनांक–12/04/2024

Through E-Filing (E-mail: judicial-ngt@gov.in)

To,

The Registrar,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Sub: Response/Status report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance to Order passed on 12.02.2024 by Hon'ble National Green Tribunal, Delhi in OA No.-359/2022 Rafhat Naeem Siddiqui Vs State of UP & Ors.

Respected Sir,

With reference to the above mentioned subject the response/ status report be for Hon'ble National Green Tribunal in compliance to order dated 12-02-2024 in OA No.-359/2022 Rafhat Naeem Siddiqui Vs State of UP & Ors. is hereby summitted for kind perusal and necessary action please.

Your Sincerely,

Enclosure : Response / Status report.

(Vijay)
Regional Officer

Copy To:

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Chief Environmental Officer, Circle-7, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

संलग्नक-1

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।

दिनांक 12 मार्च, 2024

पत्रांक 926 / खनिज अनुभाग–2024

विषयः कन्सलटेन्ट (न्यायिक) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 व 12.02.2024 के अनुपालन में अपना पक्ष/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

मै0 मिलनसार ब्रिक वर्क्स
ग्राम अबुल खैरपुर तहसील नगीना।
प्रो0 –मौ0 अकरम पुत्र श्री मुन्ने
निवासी ग्राम शादीपुर तहसील नगीना जिला बिजनौर।

कृपया उपरोक्त विषयक कन्सलटेन्ट (न्यायिक) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित ई–मेल पत्रांक NGT/judicial/OA/359-2022 दिनांक 14.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 359/2022 रफअत नईम सिद्दकी बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 व 12.02.2024 के अनुपालन में परियोजना प्रस्तावक को नोटिस निर्गत करते हुए अनुपालन आख्या से अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः कन्सलटेन्ट (न्यायिक) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित ई–मेल पत्रांक NGT/judicial/OA/359-2022 दिनांक 14.10.2022 व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 व 12.02.2024 के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप प्रकरण के सम्बन्ध में अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 03 दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि अनुपालन आख्या से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराया जा सके।

सलग्नकः– यथोक्त।

12/3/24

खान निरीक्षक,
बिजनौर।

138

पत्रांक - 925

भारतीय डाक
India Post

RU062447941IN IVR:8295062447941
ML DISTRICT BOARD SO (246701)
Counter No:1,13/03/2024,11:32
To: PRAMUKH(?) B,HARIDWAR
PIN:249401, Haridwar SO
From: D M KHANIJ ANUBHAG, BIJNOR
Wt:32gms,REG=17.0
Amt:0.00PS:32.00Tax:4.86
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

भारतीय डाक
India Post

RU062447955IN IVR:8295062447955
ML DISTRICT BOARD SO (246701)
Counter No:1,13/03/2024,11:32
To:D M ,HARIDWAR
PIN:249401, Haridwar SO
From: D M KHANIJ ANUBHAG, BIJNOR
Wt:20gms,REG=17.0
Amt:0.00PS:26.00Tax:3.96
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

(हस्ताक्षर) 12-03-2024

DFO, नजीबाबाद।

अजय सिंघल पुत्र महिपाल निo-हाउस नo-38 विद्युत निकुंज प्लाट नo-112 बालाजी मैक्स हास्पिटल के सामने I.P. एक्सटेंशन पटपड़गंज शकरपुर पूर्वी दिल्ली गांधी नगर दिल्ली। (हस्ताक्षर) 13-03-24

926 13/03/24	कन्सलटेन्ट (न्यायिक) माo राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिo 28.09.2022, 12.08.24 के अनुपालन में अपना पक्ष/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में	मैo मिलननगर ब्रिक वर्क्स, ग्राम-अब्दुल खैरपुर तहo-नगीना प्रोo मौo अकरम पुत्र मुन्ने, निo-ग्राम शादीपुर तहo-नगीना जिला-बिजनौर। (हस्ताक्षर) 13-3-24

927 - पत्रांक

भारतीय डाक
India Post

RU062448814IN IVR:82950…
ML DISTRICT BOARD SO (24…
Counter No:1,14/03/2024,11:43
To: TEJPAL SINGH, NAJIBABAD
PIN:246763, Najibabad SO
From: D M KHANIJ ANUBHAG,BIJNOR
Wt:20gms,REG=17.0
Amt:25.96(Cash)Tax:3.96
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

927 13/03/24	जनपद-बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के ग्राम मथुरापुर मोर के गाटा संo 48मिo क्षेत्र 1.7100 हo भूमि पर जमा बालू, बजरी, बोल्डर (मिश्रित अवस्था) को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रगति पत्र।	तेजपाल सिंह पुत्र मनफूल, निo-ग्राम मथुरापुर मोर बोड़ा पोo-चन्दनपुरा तहo-नजीबाबाद, जिला-बिजनौर।

Jaunu ma
10-4-2024

संलग्नक-2

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।

पत्रांकः1046 / खनिज अनुभाग–2024 दिनांकः 09 अप्रैल, 2024

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 359 / 2022 रफत नईम सिद्दकी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के सम्बन्ध में।

पत्रांक 02
दिनांक 10-4-2024
पत्रावली सं0 N-43/जनरल-

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बिजनौर।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 1361 / एन–43 / जनरल–2024 दिनांक 26.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके साथ मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 की छायाप्रति संलग्न करते हुए उक्त ओ0ए0 में प्रश्नगत ईट भटठा मैसर्स मिलनसार ब्रिक वर्क्स ग्राम अबुल खैरपुर तहसील नगीना जिला बिजनौर द्वारा किये गये मिटटी के खनन कार्य के संबध में रिपोर्ट चाही गयी है, का अवलोकन कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवलोकनीय है कि कन्सलटेन्ट (न्यायिक) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित ई–मेल पत्रांक NGT/judicial/OA/359-2022 दिनांक 14.10.2022, जो कार्यालय में 28.02.2024 को प्राप्त हुआ है, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 359 / 2022 रफअत नईम सिद्दकी बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 के अनुपालन में परियोजना प्रस्तावक को नोटिस निर्गत करते हुए अनुपालन आख्या से अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त निर्देश के अनुपालन में परियोजना प्रस्तावक / भटटा स्वामी मै0 मिलनसार ब्रिक वर्क्स ग्राम अबुल खैरपुर तहसील नगीना प्रो0 मौ0 अकरम पुत्र मुन्ने निवासी ग्राम शादीपुर तहसील नगीना जिला बिजनौर को अपना पक्ष / स्पष्टीकरण 03 दिवस के भीतर कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बोधित कार्यालय पत्रांक 926 / खनिज अनुभाग–24 दिनांक 12.03.2024 प्रेषित किया गया **(छायाप्रति संलग्नक)**। जिसके क्रम में परियोजना प्रस्तावक मौ0 अकरम द्वारा अपने पृथक–पृथक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.03.2024 व 13.03.2024 प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया गया कि प्रार्थी द्वारा गाटा सं0 55 से कभी मिटटी की निकासी नहीं की गयी है। उक्त गाटा सं0 55 के काश्तकारो द्वारा मिटटी निकासी न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, छायाप्रति संलग्न है। इस प्रकार रफत नईम सिद्दकी द्वारा मा0 न्यायालय में की गयी शिकायत निराधार एवं असत्य है। प्रार्थना पत्र के अन्त में उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में पुनः उपजिलाधिकारी नगीना, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व खनन विभाग की संयुक्त टीम से मौके की जॉच कराकर प्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही को निरस्त कराये जाने का अनुरोध किया गया। तत्क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनाक 12.02.2024 के अनुपालन व उपरोक्त प्रार्थना पत्र में किये गये अनुरोध के क्रम में उपरोक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कथन की सत्यता की संयुक्त जॉच कर जॉच आख्या से तत्काल क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण बार्ड बिजनौर को उपलब्ध कराये जाने हेतु उपजिलाधिकारी नगीना, तहसीलदार नगीना व खान अधिकारी बिजनौर को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित कार्यालय पत्रांक 1007 / खनिज अनुभाग–24 दिनांक 04.04.2024 प्रेषित किया गया, जिसमें आपको सम्बन्धित से समन्वय स्थापित कर जॉच आख्या व अनुपालन आख्या समयान्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

AEE/SA

उक्त निर्देश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी नगीना, तहसीलदार नगीना व खान अधिकारी बिजनौर द्वारा अपनी संयुक्त जॉच आख्या दिनांक 04.04.2024 कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता रफत नईम सिद्दकी आदि काश्तकारो के गाटा संख्या 35 रकबा 9.270 हे0 स्थित ग्राम सैदअलीपुर से ग्राम अबुलखैरपुर का गाटा सं0 55 रकबा 0.562 हे0 मिला हुआ नहीं है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को रफत नईम सिद्दकी द्वारा गाटा सं0 55 स्थित ग्राम अबुल खैरपुर के जो सहखातेदार शिकायत में उल्लिखित किये गये हैं, वह असत्य एवं निराधार है। ग्राम अबुलखैरपुर के गाटा सं0 55 पर राजस्व रिकार्ड अनुसार ओमपाल सिहं, राजपाल सिहं, रामचरन सिहं व मदन सिहं पुत्रगण शंकर सिहं निवासीगण शादीपुर के नाम दर्ज अभिलेख हैं। उक्त गाटा सं0 55 ग्राम अबुलखैरपुर, ग्राम सैदअलीपुर के गाटा सं0 35 से लगभग 01 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसमें कोई भी खनन कभी भी नहीं किया गया है। स्थलीय जॉच में गाटा संख्या 35 स्थित ग्राम सैदअलीपुर पर भी किसी व्यक्ति द्वारा कोई खनन नहीं किया जाना पाया गया। इस प्रकार शिकायतकर्ता श्री रफत नईम सिद्दकी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की गयी शिकायत निराधार व असत्य पायी गयी। ईट भटटा स्वामी मौ0 अकरम पुत्र मुन्ने निवासी ग्राम शादीपुर के द्वारा ग्राम अजुपुरा रानी के गाटा संख्या 231 व ग्राम अबुल खैरपुर के गाटा सं0 13 क्षे0 0.680 हे0, 14 क्षे0 1.607 हे0, 16 क्षे0 0.338 हे0 व 17 क्षे0 0.339 हे0 से मिटटी की निकासी 4 से 4.5 फिट की गयी है। **(छायाप्रति संलग्नक)**

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 359 / 2022 रफत नईम सिद्दकी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के अनुपालन में प्रकरण में करायी गयी संयुक्त जॉच आख्या दिनांक 04.04.2024 संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अनुपालन आख्या समयान्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्राप्त कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराये जाने का कष्ट करे ताकि कृत कार्यवाही से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः– यथोक्त।

9/04/2024

खान अधिकारी,
बिजनौर।

महोदय,

कृपया संलग्न सन्दर्भ कार्यालय जिलाधिकारी बिजनौर पत्रांक 1007/खनिज अनुभाग–24 दिनांक 04.04.2024 में कन्सलटेन्ट न्यायिक, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 व 12.02.2024 के अनुपालन में परियोजना प्रस्तावक श्री मौ0 अकरम पुत्र श्री मुन्ने को प्रेषित नोटिस के क्रम में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांक 11/13.03.2024 के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र, जो संलग्न है, में उल्लिखित कथन व श्री रफत नईम सिद्दकी के प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2022 में उल्लिखित कथन की सत्यता की जॉच चाही गयी है, जिसकी जॉच आख्या निम्नवत् है :–

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आज दिनांक 04.04.2024 को राजस्व विभाग व खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर उपस्थित होकर प्रकरण की जॉच की गयी, जिसमें संलग्न कार्यालय पत्रांक 1007/खनिज अनुभाग–24 दिनांक 04.04.2024 के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र मे पक्षी मौ0 अकरम पुत्र श्री मुन्ने निवासी ग्राम शादीपुर परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर द्वारा ईट भटटा मिलनसार ब्रिक वर्क्स ग्राम अबुलखैरपुर परगना व तहसील नगीना के मालिक हैं, ने मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में आवेदन सं0 359/2022 रफत नईम सिद्दकी बनाम उ0प्र0 सरकार में रफत नईम सिद्दकी द्वारा दिनांक 21.03.2022 को दिये गये प्रार्थना पत्र, जिसमें ग्राम सैदअलीपुर के खसरा संख्या 35 की मेढ़ पर ग्राम अबुल खैरपुर में स्थित खसरा सं0 55 के काश्तकार राहिला खातून पत्नी अनीस अहमद, मौ0 याकूब पुत्र मौ0 इशाक, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार पुत्रगण अ0 रशीद निवासीगण शादीपुर द्वारा अपनी कृषि भूमि अवैध खनन के लिए भटटा मालिक मौ0 अकरम पुत्र मुन्ने को दे रखी है, जिसमें ईट भटटा मालिक ने 8 फिट गहरा खनन किये जाने की शिकायत की है। आज दिनांक 04.04.2024 को मौके पर संयुक्त निरीक्षण में जॉच में पाया गया कि शिकायतकर्ता रफत नईम सिद्दकी आदि काश्तकारो के गाटा संख्या 35 रकबा 9.270 हे0 स्थित ग्राम सैदअलीपुर से ग्राम अबुलखैरपुर का गाटा सं0 55 रकबा 0.562 हे0 मिला हुआ नहीं है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को रफत नईम सिद्दकी द्वारा गाटा सं0 55 स्थित ग्राम अबुल खैरपुर के जो सहखातेदार शिकायत में उल्लिखित किये गये हैं, वह असत्य एवं निराधार है। ग्राम अबुलखैरपुर के गाटा सं0 55 पर राजस्व रिकार्ड अनुसार ओमपाल सिहं, राजपाल सिहं, रामचरन सिहं व मदन सिहं पुत्रगण शंकर सिहं निवासीगण शादीपुर के नाम दर्ज अभिलेख हैं। उक्त गाटा सं0 55 ग्राम अबुलखैरपुर, ग्राम सैदअलीपुर के गाटा सं0 35 से लगभग 01 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसमें कोई भी खनन कभी भी नहीं किया गया है। स्थलीय जॉच में गाटा संख्या 35 स्थित ग्राम सैदअलीपुर पर भी किसी व्यक्ति द्वारा कोई खनन नहीं किया जाना पाया गया। इस प्रकार शिकायतकर्ता श्री रफत नईम सिद्दकी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की गयी शिकायत निराधार व असत्य पायी गयी। **ईट भटटा स्वामी मौ0 अकरम पुत्र मुन्ने निवासी ग्राम शादीपुर के द्वारा ग्राम अजुपुरा रानी के गाटा संख्या 231 व ग्राम अबुल खैरपुर के गाटा सं0 13 क्षे0 0.680 हे0, 14 क्षे0 1.607 हे0, 16 क्षे0 0.338 हे0 व 17 क्षे0 0.339 हे0 से मिटटी की निकासी 4 से 4.5 फिट की गयी है।**

आख्या सादर अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत।

04/04/2024		4/4/24		04/04/2024
हल्का लेखपाल	राजस्व निरीक्षक	खान निरीक्षक,	तहसीलदार	खान अधिकारी
क्षेत्र रा.प्र.पु.	क्षेत्र	बिजनौर।	नगीना।	बिजनौर

4/4/24

उपजिलाधिकारी,
नगीना।

Scanned with OKEN Scanner

बयान

बयान श्री ओमपालसिंह पुत्र शंकर सिंह उम्र लगभग 66 वर्ष, जाति सैनी, पेशा कृषि नि. ग्राम आदीपुर परगना व तहसील नगीना, जिला बिजनौर के स्थायी निवासी है।

मैं हलफिया बयान करता हूं कि उपरोक्त मेरा नाम व पता सही है।

मैं बयान करता हूं कि मेरी कृषि आराजी वाक्ये मौजा - अब्दुल [illegible] परगना व तहसील नगीना के खसरा सं. 55 रकबई 0.562 हे. भूमि के सहखातेदार कृषक है तथा मेरी कृषि भूमि मे कोई खनन नही कराया है और न किया है। व मेरी भूमि में गन्ने की फसल, गेहूं व बरसीम की फसल मौके पर बोई हुई है। मैंने खनन हेतु मो. अकरम पुत्र मुन्ने नि. आदीपुर परगना व तहसील नगीना को खनन हेतु भूमि नही दी है।

गवाह: (1) प्रीतम सिंह
(2) शहजाद आलम

Vijay
04/04/2024

उपस्थिति पत्र

आज दिनांक 04/04/2024 को कार्यालय जिलाधिकारी बिजनौर के पत्रांक सं. 1007/खनिज अनुभाग 2024 दिनांक 04/04/2024 के अनुपालन में ग्राम-सैदअलीपुर व ग्राम-अब्दुल्लापुर के गाटा सं. की जाँच सम्बन्धित टीम द्वारा मौके पर उपस्थित होकर की गयी। वहां पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा निम्नवत है।

Vijay
04/04/2024

04-04-2024
मनमोहन गोइल

प्रीतमसिंह

रईस कालरा

मौ. शौकत

5/4/24
(MI BIJNOR)

नजरी नक्शा

ग्राम- सेद अलीपुर व अब्दुल्ला पेटपुर, पर० व तह० नगीना
जिला- बिजनौर

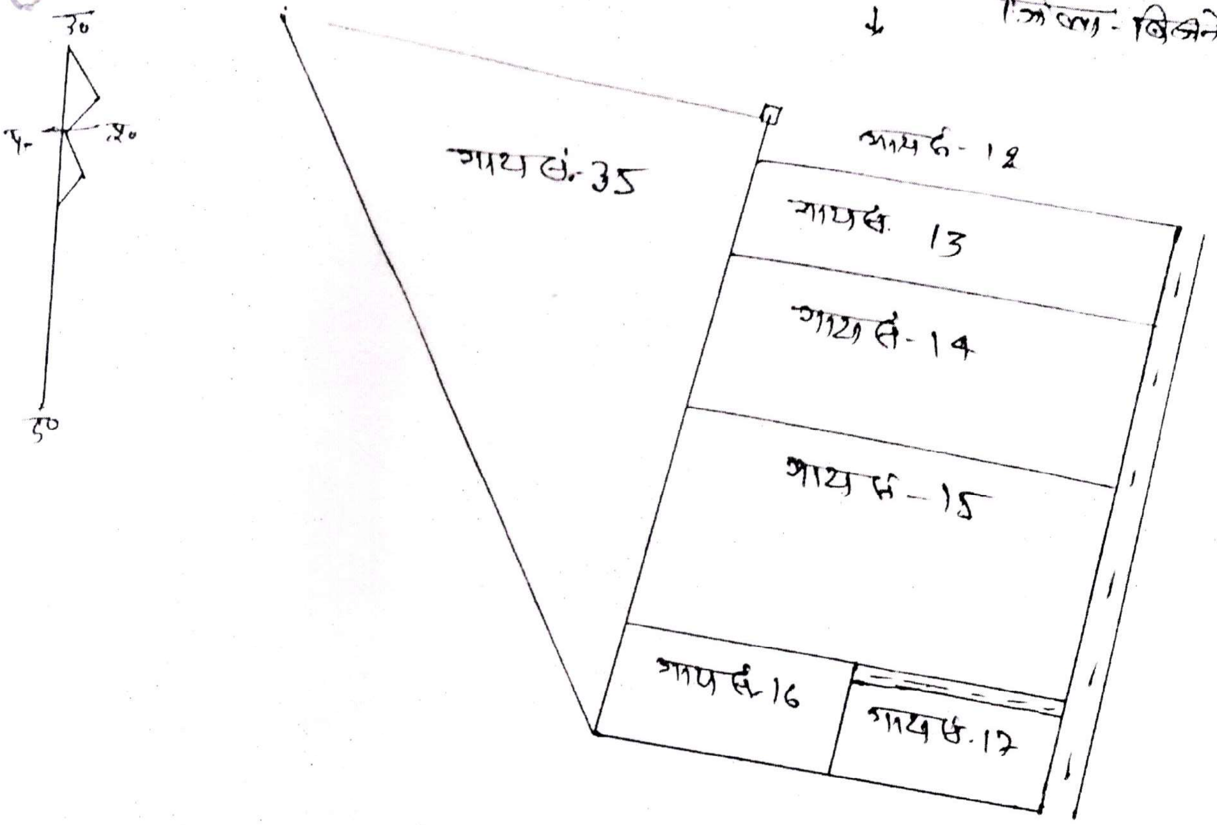

ग्राम- अब्दुल्ला पेटपुर, परगना व तहसील नगीना, जिला बिजनौर

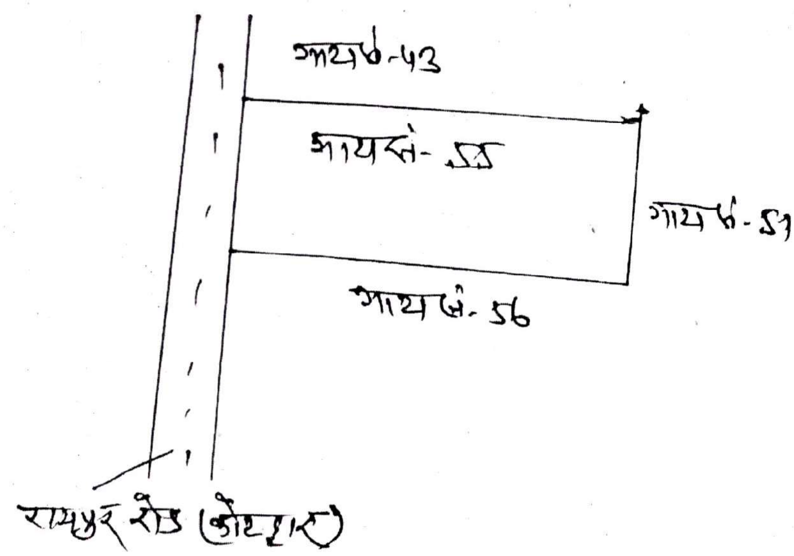

Vijay 05/04/2024
विजय ... लेखपाल
तहसील नगीना (बिजनौर)

गाटा सं० 142 रकबा 0.680 हे०
ग्राम अब्दुल्लापुर पट्टी व तह० नगीना जनपद बिजनौर।

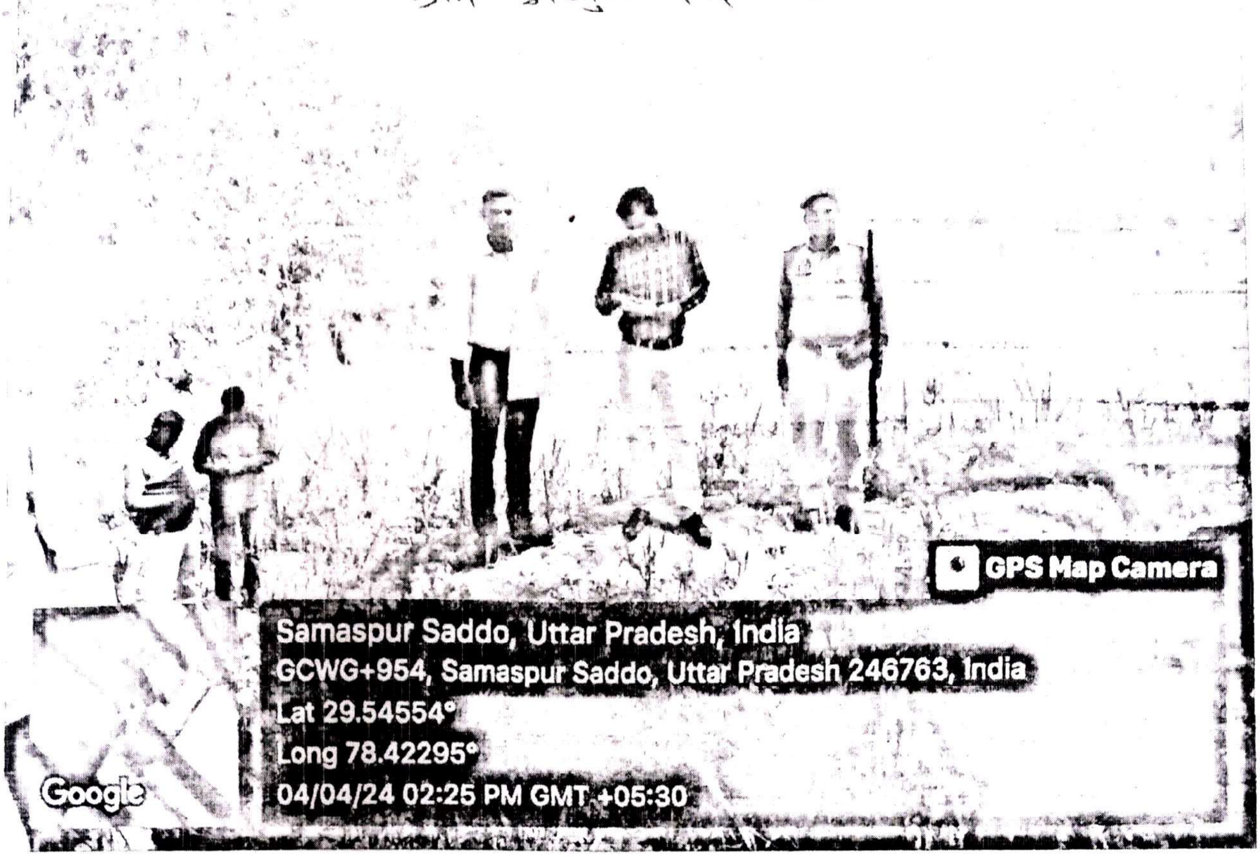

ग्राम अब्दुल्लापुर
गाटा सं० 16 रकबा 0.338 हे०

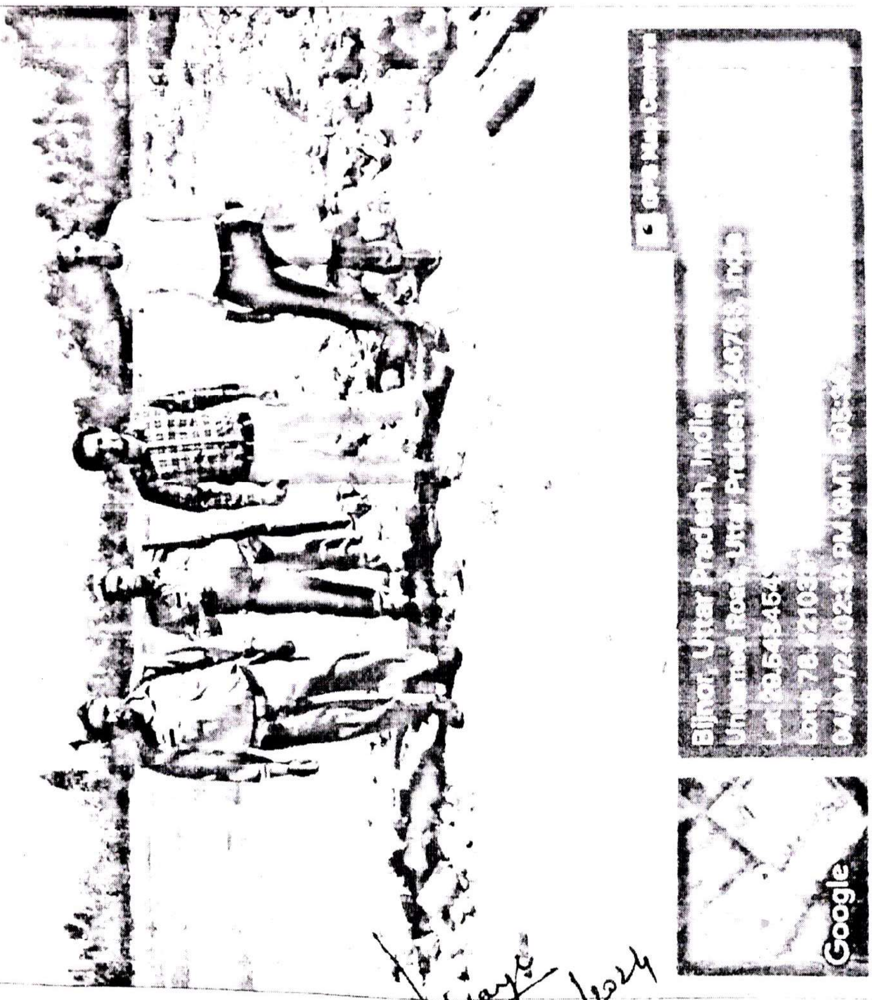

Vijay
04/04/2024

ग्राम- अब्दुल बैरपुर परगना व तहसील नगीना
जनपद- बिजनौर गाटा सं० 55 क्षे० 0.562 है०

ग्राम सैदअलीपुर परगना व तह० नगीना जनपद बिजनौर
गाटा सं० -35 क्षे० -9.920 है०

Vijay 04/04/2024

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP93814654511852W

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP93814654511852W
Certificate Issued Date	:	12-Mar-2024 05:02 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14280204/ BIJNOR SADAR/ UP-BJN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14280204838737676955564W
Purchased by	:	OMPAL SINGH SO SHANKAR SINGH
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	OMPAL SINGH SO SHANKAR SINGH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	OMPAL SINGH SO SHANKAR SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

NOTARY Advocate Notary Mahesh Chand Tyagi Reg. No. 1232000 BIJNOR (U.P.) GOVT. OF INDIA

NOTARIAL

शपथपत्र

समक्ष–सक्षम अधिकारी

शपथपत्र मिनजानिब–: ओमपाल सिंह पुत्र शंकर सिह निवासी ग्राम शादीपुर नगीना जिला बिजनौर।

मै शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ कि –

1–यह कि उपरोक्त लिखा मेरा नाम व पता बिल्कुल सही है।

2–यह कि मै शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरी आराजी ग्राम अबुलखैरपुर के खसरा न–55 काकाश्तकार है।

3– यह कि मै शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि हमने अपने खसरा नं0–55 मे पिछले 15 वर्षो से खेती कर रहे है।

4–यह कि हमारे द्वारा कभी भी मौ0 अकरम पुत्र मुन्ने निवासी शादीपुर तहसील नगीना जिला बिजनौर को मिटटी निकासी के लिए भूमि नही दी है।

5–यह कि उपरोक्त लिखा शपथपत्र का पैरा न0 1 ता 4 मेरे ज्ञानानुसार सही व सत्य है इसमें कुछ झूठ नही है । ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक

Sworn before me on the day 13-3-2024
by Ompal Singh
who has been identified by M. Adhivakta
who is personally known to me.
whose signature (s) is/are here to appended

शपथकर्ता

शपथकर्ता

Mahesh Chand Tyagi
NotaryAdvocate
BIJNOR (U.P.)

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।

पत्रांकः 1007/खनिज अनुभाग--2024 दिनांक 04 अप्रैल, 2024

विषयः कन्सलटेन्ट (न्यायिक) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 व 12.02.2024 के अनुपालन में संलग्न प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कथन की सत्यता की जॉच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

1. उपजिलाधिकारी नगीना।
2. तहसीलदार नगीना।
3. खान अधिकारी बिजनौर।

कृपया उपरोक्त विषयक कन्सलटेन्ट (न्यायिक) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित ई–मेल पत्रांक NGT/judicial/OA/359-2022 दिनांक 14.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 359/2022 रफअत नईम सिद्दकी बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 व 12.02.2024 के अनुपालन में अनुपालन आख्या से अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रकरण में प्रार्थी मौ0 अकरम प्रो0 मै0 मिलनसार ब्रिक वर्क्स ग्राम अबुल खैरपुर तहसील नगीना जिला बिजनौर द्वारा अपने पृथक–पृथक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.03.2024 व 13.03.2024 कार्यालय में प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि प्रार्थी का ईट भटटा मिलनसार ब्रिक वर्क्स ग्राम अबुल खैरपुर तहसील नगीना जनपद बिजनौर में स्थित है। प्रार्थी के समीपवर्ती ग्राम अजुपुरा रानी निवासी रफत नईम सिद्दकी द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली में आवेदन नम्बर 359/2022 रफत नईम सिद्दकी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तुत कर कथन किया गया कि 2021/2022 में उनकी भूमि सैदअलीपुर के खसरा नम्बर 35मि व अबुल खैरपुर के खसरा नम्बर 55 में 8 फिट गहरा अवैध खनन किया गया है। उक्त शिकायत गलत तथ्यों पर आधारित है। जबकि प्रार्थी द्वारा अबुल खैरपुर के खसरा नम्बर 13 में व 14, 16,17 के कुछ भाग में नियमानुसार 5 फिट गहरायी से कम खनन किया गया है। प्रार्थी द्वारा 2021/2022 में किये गये खनन की परमिशन प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त सन्दर्भ में श्रीमान के कार्यालय द्वारा पूर्व में जॉच कराकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रेषित की गयी थी। लिपिकीय त्रुटिवश से 5 फिट के स्थान पर 5 मीटर व खसरा नम्बर 12, 15 लिखा गया है तथा उपरोक्त खसरा नं0 35मि, 55 व 12, 15 में प्रार्थी द्वारा खनन नहीं कराया गया है। प्रार्थी के पास प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से दिनांक 31.07.2027 तक एन0ओ0सी प्राप्त है। प्रार्थना पत्र के अन्त में उपजिलाधिकारी महोदय नगीना द्वारा ग्राम अबुल खैरपुर के लेखपाल व कानूनगो द्वारा पुनः मौके की सही जॉच कराकर अतिशीघ्र राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः कन्सलटेन्ट (न्यायिक) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित ई–मेल पत्रांक NGT/judicial/OA/359-2022 दिनांक 14.10.2022 के अनुपालन में प्रार्थी मौ0 अकरम प्रो0 मै0 मिलनसार ब्रिक वर्क्स ग्राम अबुल खैरपुर तहसील नगीना जिला बिजनौर के पृथक–पृथक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.03.2024 व 13.03.2024 मय संलग्नक आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के अनुपालन में व उपरोक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कथन की सत्यता की संयुक्त जॉच कर जॉच आख्या से तत्काल क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बिजनौर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि उनके द्वारा अनुपालन आख्या से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः-- यथोक्त।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी (खनन)
बिजनौर।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित से समन्वय स्थापित कर जॉच आख्या व अनुपालन आख्या समयान्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी (खनन)
बिजनौर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 926/खनिज अनुभाग–24 दिनांक 12.03.2024, जिसमें कन्सलटेन्ट (न्यायिक) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित ई–मेल पत्रांक NGT/judicial /OA/359-2022 दिनांक 14.10.2022 व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 व 12.02.2024 के अनुपालन में प्रकरण के सम्बन्ध में पक्ष/स्पष्टीकरण 03 दिवस के भीतर कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी का ईट भटटा मिलनसार ब्रिक वर्क्स ग्राम अबुल खैरपुर तहसील नगीना जनपद बिजनौर में स्थित है। प्रार्थी के समीपवर्ती ग्राम अजुपुरा रानी निवासी रफत नईम सिद्दकी द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में आवेदन नं0 359/22 रफत नईम सिद्दकी बनाम उ0प्र0 सरकार में प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2022 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वह खसरा नं0 35मि स्थित ग्राम सैद अलीपुर परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर के निवासी है। इसी खसरा नं0 35मि के काश्तकार श्रीमती सायरा बेगम पत्नी श्री नईमुद्दीन, नदीम अहमद निवासी ग्राम अजुपुरा रानी परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर भी है। प्रार्थीगण के मेढ के खसरा नं0 55 स्थित ग्राम अबुल खैरपुर के काश्तकार राहिला खातून पत्नी श्री अनीस अहमद, श्री मकबूल हुसैन पुत्रगण अनीस अहमद निवासी ग्राम अजुपुरा रानी, श्री मनसूल हसन पुत्र श्री अनीस अहमद, मौ0 याकूब पुत्र मौ0 इश्हाक, श्री अ0 सत्तार पुत्र अ0 गफ्फार पुत्रगण श्री अ0 रशीद निवासीगण ग्राम शादीपुर परगना व तहसील नगीना एवं शिवचरन सिंह पुत्र श्री बुद्ध सिहं, अरविन्द पुत्र भूदेव निवासी शादीपुर द्वारा अपनी कृषि भूमि में से अवैध खनन के लिए भटटा मालिक मौ0 अकरम पुत्र मुन्ने (प्रार्थी) को दी है, जिसमें प्रार्थी ने लगभग 8 फिट का गहरा खनन किये जाने की शिकायत की गयी है। उपरोक्त शिकायत के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उक्त शिकायत/आरोप बेबुनियाद/झूठे हैं। विपक्षीगण रफत नईम सिद्दकी द्वारा अपनी आपसी रंजिश के चलते प्रार्थीगण के खिलाफ मा0 न्यायालय को फर्जी शिकायत की गयी है। उक्त शिकायत में नईम सिद्दकी द्वारा ग्राम अबुल खैरपुर के गाटा सं0 55 पर प्रार्थी द्वारा 8 फिट खनन किये जाने की शिकायत की गयी है जबकि प्रार्थी द्वारा ईट भटटा सत्र 2021–22 में ग्राम अजुपुरा रानी के गाटा सं0 231 व ग्राम अबुल खैरपुर के गाटा सं0 13, 14, 16, 17 से मिटटी निकासी की गयी थी, जिसके साक्ष्य स्वरूप मिटटी अनुमति पत्र की छायाप्रति संलग्न है। श्री रफत नईम सिद्दकी द्वारा अपने उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2022 में ग्राम अबुल खैरपुर के गाटा सं0 55, जो उनके द्वारा काश्तकार राहिला खातून पत्नी श्री अनीस अहमद, श्री मकबूल हुसैन पुत्रगण अनीस अहमद निवासी ग्राम अजुपुरा रानी, श्री मनसूल हसन पुत्र श्री अंनीस अहमद, मौ0 याकूब पुत्र मौ0 इश्हाक, श्री अ0 सत्तार पुत्र अ0 गफ्फार पुत्रगण श्री अ0 रशीद निवासीगण ग्राम शादीपुर परगना व तहसील नगीना एवं शिवचरन सिंह पुत्र श्री बुद्ध सिहं, अरविन्द पुत्र भूदेव निवासी शादीपुर के नाम दर्ज होना दर्शाया गया है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम अबुल खैरपुर के गाटा स0 55 रकबा 0.562 हे0 राजस्व अभिलेखो में श्री ओमपाल सिंह, मदन सिहं, राजपाल सिहं, रामचरन सिहं पुत्र शंकर सिहं के नाम दर्ज है **(खतौनी छायाप्रति संलग्नक)**, जिनके द्वारा अपनी आराजी से मिटटी निकासी के सम्बन्ध में कोई अनुबन्ध प्रार्थीगण के द्वारा नहीं किया गया है और न ही प्रार्थी द्वारा उक्त गाटा सं0 55 से कभी मिटटी निकासी की गयी है। उक्त गाटे सं0 55 के काश्तकारो द्वारा उक्त गाटे से मिटटी निकासी न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र की प्रति संलग्न है। इस प्रकार रफत नईम सिद्दकी द्वारा मा0 न्यायालय में की गयी शिकायत निराधार एवं असत्य है, जिनके द्वारा प्रार्थी के व्यवसाय में क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से उक्त शिकायत मा0 न्यायालय में की गयी है। प्रार्थी के पास प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की अनापत्ति, जो दिनांक 31.07.2027 के लिए निर्गत है, की छायाप्रति साथ में संलग्न है। प्रार्थी द्वारा कभी भी ग्राम सैदअलीपुर के खसरा सं0 35मि व ग्राम अबुल खैरपुर के खसरा सं0 55 में कभी भी खनन नहीं किया गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रार्थी के उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में पुनः उपजिलाधिकारी नगीना, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व खनन विभाग की संयुक्त टीम से मौके की जॉच कराकर प्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही को निरस्त कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

संलग्नक :– यथोक्त।

दिनांक 13.03.2024

मौ. अकरम

प्रार्थी

M

मौ0 अकरम पुत्र श्री मुन्ने
निवासी ग्राम शादीपुर
तहसील नगीना जिला बिजनौर।

Mo: 8779827618

मुलाकात 5/0 10 से 12 बजे तक

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,

जनपद बिजनौर

विषयः— पुनः जॉच कराने के सम्बन्ध में

श्रीमान जी,

निवेदन है कि प्रार्थी का ईट भट्टा मिलनसार ब्रिक वर्क्स ग्राम अब्बुल खैरपुर तहसील नगीना, जनपद बिजनौर में स्थित है। प्रार्थी के समीपवर्ती ग्राम अजुपुरा रानी निवासी रफत नईम सिद्दीकी द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली में आवेदन नम्बर 359/2022, रफत नईम सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तुत कर कथन किया गया कि 2021/2022 में उनकी भूमि सैदअलीपुर के खसरा नम्बर 35मि0 व अब्बुल खैरपुर के खसरा नम्बर 55 में 8 फिट गहरा अवैध खनन किया गया है। उक्त शिकायत गलत तथ्यों पर आधारित है। जबकि प्रार्थी द्वारा अब्बुल खैरपुर के खसरा नम्बर 13 में व 14, 16, 17 के कुछ भाग में नियमानुसार 5 फिट गहरायी से कम खनन किया गया है। प्रार्थी द्वारा 2021/2022 में किये गये खनन की परमिशन प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त सन्दर्भ में श्रीमान के कार्यालय द्वारा पूर्व में जॉच कराकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रेषित की गयी थी। लिपिकीय त्रुटिवश से 5 फिट के स्थान पर 5 मीटर व खसरा नम्बर 12, 15 लिखा गया है तथा उपरोक्त खसरा नम्बर 35मि0, 55 व 12, 15 में प्रार्थी द्वारा खनन नहीं कराया गया है। प्रार्थी के पास प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से दिनांक 31–07–2027 तक एन.ओ.सी. प्राप्त है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की गयी शिकायत का अभी तक प्रार्थी को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। ताकि प्रार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपजिलाधिकारी महोदय नगीना द्वारा ग्राम अब्बुल खैरपुर के लेखपाल व कानूनगो द्वारा पुनः मौके की सही जॉच कराकर अतिशीघ्र राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रेषित करने की कृपा करे।

DC(Mines)
Pls check.
11/3/24
जिलाधिकारी बिजनौर

श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

मो० अकरम

प्रोपराईटर

दिनांक— 11-3-2024

9779827618

मौ0 अकरम/मिलनसार ब्रिक वर्क्स

ग्राम अब्बुल खैरपुर, तहसील नगीना

जिला बिजनौर, उ0प्र0।

श्रीमान खनन अधिकारी 19 (49)

जिलाधिकारी कार्यालय

बिजनौर।—246762

विषय—भटटा मालिक द्वारा मानक से अधिक अवैध खनन के समबन्ध मे—

516/LP/2022
30/3/22

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण ग्राम अजुपुरा रानी परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर के निवासी है। प्रार्थीगण खसरा नं0 35 मि0 स्थित ग्राम सैद अलीपुर परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर के निवासी है। इसी खसरा नं0 35 मि0 के काश्तकार श्रीमति सायरा बेगम पत्नी श्री नईमुददीन, नदीम अहमद निवासीगण ग्राम अजुपुरा रानी परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर भी है। प्रार्थीगण के मेड के खसरा नं0—0055 स्थित ग्राम अबुल खैरपुर के काश्तकार राहिला खातून पत्नी श्री अनीस अहमद श्री मकबूल हुसैन पुत्रगण श्री अनीस अहमद निवासी ग्राम अजुपुरा रानी परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर एंव श्री मन्सुबुल हसन पुत्रगण श्री अनीस अहमद, श्री मौ0 याकूब, श्री मौ0 इश्हाक श्री अ0 सत्तार एंव श्री अ0 गफफार पुत्रगण श्री अ0 रशीद निवासीगण ग्राम शादीपुर परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर एंव शिवचरन सिंह पुत्र श्री बुद्व एंव अरविन्द पुत्र श्री भूदेव सिंह निवासी ग्राम शादीपुर परगना व तहसील नगीना ने अपनी कृषि भूमि मे से अवैध खनन के लिये भटटा मालिक मौ0 अकरम पुत्र श्री मुन्ने को दे रखी है इस भटटा मालिक ने जे0सी0बी0 मशीन मानक से अणिक लगभग आठ फिट गहरी खनन कर लिया है तथा प्रार्थीगण के खेत खसरा सं0—35 मि0 के सिहददे से उत्तर से दक्षिण डेढ मीटर चौडी एंव 25 मीटर लम्बी व आठ फिट गहरी कृषि भूमि मे अवैध खनन कर लिया है पूर्वी साइड मे देड पडने के कारण अनुपयोगी हो गयी है । प्रार्थीगण को धान व गन्ने की फसल बोने के लिये प्रार्थी को उसमे अलग से मिटटी डलवानी पडी है भटटा मालिक द्वारा मानक

Ld. R.G.
29-03-2022
L.P

(2)

से अधिक मिटटी का खनन करने के कारण प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मे खेती करने मे कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है प्रार्थीगण ने कई बार समझाया लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नही है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि न्यायहित मे स्थल का निरीक्षण करके मानक से अधिक गहरी अवैध खनन हेतू उपरोक्त वर्णित कृषको एंव मानको से अधिक गहरे अवैध खनन करने के लिये भटटा मालिक के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाये।

दिनांक—21.03.2022

प्रार्थी

रफअत नईम पुत्र स्व० कसीमुददीन

निवासी ग्राम अजुपुरा रानी

परगना व तहसील तहसील नगीना

जिला बिजनौर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू सादर प्रेषित है—

1—श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बिजनौर

2—श्रीमान आयुक्त महोदय मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद

3—योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमन्त्री ए० प्र० सरकार लखनऊ

4—श्रीमान अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय हरित अधिकारण फरीदकोट हाउस कार्पनिक्स मार्ग निकट इण्डिया गेट नई दिल्ली। 110001

संलग्नक-3

Uttar Pradesh Pollution Control Board
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

171184/UPPCB/Bijnore(UPPCBRO)/CTO/both/BIJNOR/2022 **Date: 09/12/2022**

To,
M/s
MILANSAR BRICK WORKS
VILLAGE-ABUL KHAIRPUR, TEHSIL-NAGINA, DISTT.-BIJNOR ,BIJNOR,246762

Application Id-18815837

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to **MILANSAR BRICK WORKS** located at **VILLAGE-ABUL KHAIRPUR, TEHSIL-NAGINA, DISTT.-BIJNOR ,BIJNOR,246762.** subject to the provisions of **the Water Act, Air Act** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA MILANSAR BRICK WORKS **granted for the period from 02/12/2022 to 31/07/2027** and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	Bricks 20000 No./day	20000	Numbers/Day

2. **Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-**

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Industrial	Zero	NA	NA
Domestic	01 KLD	Septic Tank	Irrigation of green belt with in premises

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard
1	pH	6.5-9.0
2	COD	250 mg/l
3	BOD	30 mg/l

4	Oil & Grease	10 mg/l
5	Total Suspended Solids	100 mg/l

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality.In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards

3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	Brick Kiln	Coal/Wood 03 Ton/day	1	Particulate Matter	30 Meter Stack Height from Ground Level and Gravitational settling chamber as APCS

Emmission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
1	1	Particulate Matter	As per norms

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.
(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.
5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.
7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.
8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated Industial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

Specific Conditions:-

The Brick Kiln shall ensure strict compliance with all terms & conditions with consent and compliance report submitted within one month and then be sure to submit with a gap of 03 months.

1. This CTO is being granted to M/s MILANSAR BRICK WORKS, VILLAGE-ABUL KHAIRPUR, TEHSIL-NAGINA, DISTT.-BIJNOR for 20,000 Bricks Per Day. This CTO will be VOID if there is any change in the above-mentioned address or product. The applicant shall make an application along with the prescribed fee for renewal consent(CTO) at least 30 days before the operation of the unit.
2. The brick kiln shall ensure to comply with the provisions of guidelines issued by the MoEF & CC Date 22-02-2022 and accordingly shall be converted into Zig Zag technology.
3. This Consent is being issued in the compliance of the direction issued by the Head Office of the UPPCB vide letter no. H81095/C-6/Saa-207/Ent Bhatta Nodal/2022 Date 13-09-2022 regarding special camp.
4. The Brick Kiln should be use coal as fuel in the process. Organics, solvents, Petcock, Hazardous waste & Other waste, Plastic Rubber Leather etc are not allowed to use as a fuel in the Brick Kiln.
5. A thick green belt of trees of suitable species shall be developed in multi lineate staggered manner on a minimum 33% of the land on which the industry is established. as per the "Protocol for Development of Green Belt" notified vide Board Office Order No.H16405/220/2018/02 dated. 16.02.2018 in this regard and available at URL http ://www.uppcb.com/ pdf/GreenbeltGuidle_160218.pdf.
6. Industry shall ensure adequate plantation and green belt within its premises and submit the compliance report within three months.
7. The operation of Brick Kiln should be such way that produce emission should not have any adverse effect on the nearby environment or the population.
8. If Consent fees due shall be deposited by Net Banking or Debit card.
9. The Brick Kiln shall ensure the water sprinkling three or four times daily in Brick Kiln campus for control of dust emission.
10. The Brick Kiln complying the Hon; ble National Green Tribunal, New Delhi order O.A. No.718/2017 dated 09.10.2019.
11. The Brick Kiln complying the order of Hon; ble High Court, Allahabad Dt. 03.12.2014 & Hon; able National Green Tribunal, New Delhi order Dt. 14.01.2015.
12. The Brick Kiln should submit the stack emission & ambient air monitoring report with every three month positively to the board by approved Laboratory.
13. The Brick Kiln should developed proper pacca roads in the premises of Brick Kiln to avoid the dust emission from transportation of the vehicles.
14. Brick kiln shall proper maintain flue gas monitoring platform/porthole/ladder attached to stack at all times. If the said platform/porthole/ladder is not found to be in operational conditions, then the consent can be cancelled.
15. In case of any public grievance against the Brick Kiln and confirmation of the same, then CTO certificate my be cancelled.
16. The Brick kiln unit shall be submit the stack emission & ambient air monitoring report within one month in operation condition of the brick kiln positively to the board by approved Laboratory.
17. This consent is issued purely from environmental angle and the Board will not be responsible for any claim, counter claim, ownership, partnership, land dispute etc of the unit.
18. At least 20% bio fuel such as bio brackets must be used in your brick kiln as per availability.
19. The Brick Kiln shall comply with various provisions of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as amended, Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as amended and all other applicable rules notified under E.P. Act 1986.
20. The Board have right to modify any conditions as and when require in compliance of any change in Environmental Guidelines and Hon' ble Court orders passed time to time.

21. Brick Kiln shall comply with Solid Waste Management Rules, 2016 and Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.
22. The Brick kiln will submit revised lease deed one month prior to the expiry of the same. If the brick kiln fails to submit the revised/extended lease deed one month prior to the expiry of the same, then the earlier consent fee deposited by the Brick Kiln will stand forfeited and the brick kiln will have to apply fresh consent along with the requisite consent fee.
23. Ash content should be used for low lying land filling in a scientific manner.
24. The brick kiln shall be comply the conditions regarding fly ash utilization notified by MOEF & CC Govt. of India from time to time.
25. Brick kiln shall provide permission to this office issued by Zila Panchayat, GST and Mining Department within three month from date of issue of this consent to operate.
26. Brick kiln shall not operate D.G set without acoustic enclosure.
27. This consent is valid only quantity mentioned above. Unit shall obtain prior approval before making any modification in product/ process /fuel / plant machinery failing which consent deemed to be cancelled.
28. Industry shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.
29. Entire moving area around the Brick kiln should be paved with the bricks to minimize the fugitive dust emission from Brick kiln operations.
30. Unit shall obtained NOC for abstraction of ground water from UP Ground water department and submit in this office within 03 month.
31. That the Brick kilns shall comply the order dated 8-4-2022 passed by Hon'ble Supreme court in writ petition no. 18213/2021 NCR Brick kilns Association vs. Central Pollution Control Board and others and notification dated 22-2-2022 issued by Ministry of Environment Forest And Climate Change.
32. The Brick Kiln shall also comply the orders passed by Hon'ble Supreme court, Hon'ble High court and Hon'ble N.G.T.pertaining to brick klin.
33. The Brick Kiln shall be comply the order pass by Hon'ble N.G.T. in OA No.-359/2022 Rafhat Naeem Siddiqui V/s State of U.P.
34. Unit shall submit compliance above mentioned points on quarterly basis, otherwise this CTO certificate may be cancelled.
35. In case of failure to comply with any of the consent conditions, the consent order issue to you may be cancelled without any notice on this behalf.

VIKAS MISHRA Digitally signed by VIKAS MISHRA Date: 2022.12.09 16:03:23 +05'30'

Regional Officer

Copy to:

Chief Environment Officer, Circle-7, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

VIKAS MISHRA Digitally signed by VIKAS MISHRA Date: 2022.12.09 16:03:53 +05'30'

Regional Officer